

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph:0612-2204975 Fax : 0612.2215994

(Email=bsmfclpatna-bih@gov.in , website:www.bsmfc.org)

(CIN No.-U65110BR 1984SGC 001964)

सचिका संख्या:.....

पटना, दिनांक: -----

ऋण चुकता प्रमाण-पत्र

मो० तसगीर आलम, पिता-मो० याहिया आजाद, ग्राम-बौहरवा, पो०-भेलाही थाना-जलई, प्र०-महिषी, जिला-सहरसा को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत जेनरल स्टोर ट्रेड में दिनांक-25.09.2014 को 100000/- (एक लाख रुपये) मात्र ऋण की राशि उपलब्ध कराया गया था। उक्त ऋण के विरुद्ध मूलधन एवं उस पर ब्याज (Interest) सहित कुल राशि 1,13,701/- (एक लाख तेरह हजार सात सौ एक रुपये) मात्र बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना को इनसे प्राप्त है। अब उनके विरुद्ध कोई बकाया नहीं रहने के कारण उनका ऋण खाता संख्या-80465 बन्द किया जाता है तथा यह ऋण चुकता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक:-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- मो० तसगीर आलम, पिता-मो० याहिया आजाद, ग्राम-बौहरवा, पो०-भेलाही थाना-जलई, प्र०-महिषी, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक:-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी, कोसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यदि मो० तसगीर आलम द्वारा जमा किया गया राशि पी. डी. सी. में अवशेष है तो उन्हें लौटा दिया जाय तथा यदि इनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया गया हो तो उसे समाप्त करने की कार्रवाई की जाय।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक:-...../479

दिनांक-...09-2-2022

प्रतिलिपि:-जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

P. S.
प्रबन्ध निदेशक

प्रमाणित है कि मो० तसगीर आलम, पिता-मो० याहिया आजाद, ग्राम-बौहरवा, पो०-भेलाही थाना-जलई, प्र०-महिषी, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।